कार्यालय उप वन संरक्षक, राजसमन्द

Sadhna Sikhar Road, Rajsamand Phone & Fax No. 02952-220096 Email- dcf.rjsmnd.forest@rajasyhan.gov.in

क्रमांकः पत्रा ( ) सर्वे / एफ.सी.ए. / उवसं / 2015–16 / दिनांकः

निमित्त :–

मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर।

विषयः– चम्बल भीलवाड़ा पेयजल परियोजना फेज –2 पेकेज –1 के अन्तर्गत वन विभाग के अधीन भूमि से पेयजल पाईप लाईन डालने बाबत्।

संदर्भः– अधिशाषी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग परियोजना परियोजना खण्ड आसींन्द के पत्रांक 459–462 दिनांक 15.10.15 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र (छाया प्रति संलग्न) के क्रम में निवेदन है कि विषयांकित जल सप्लाई पाईप लाईन के प्रस्ताव 4 प्रतियों में इस कार्यालय में प्राप्त हुए है। उक्त प्रस्तावित जल सप्लाई पाईप लाईन इस वन मण्डल अधीन अधिकार क्षेत्र में स्थित आरक्षित वन खण्ड आमनेर की सीमा में होकर 3100 मीटर लम्बाई 1.25 मीटर गहराई व 1 मीटर चौडाइ कुल क्षेत्रफल 0.31 हेक्टेयर क्षेत्र में पाईप लाईन डालना प्रस्तावित है।

अतः विषयांकित जल सप्लाई पाईप लाईन के यूजर एजेन्सी से प्राप्त प्रस्ताव दो प्रतियों में स्वीकृति जारी कराने के क्रम में आपके कार्यालय में प्रेषित किये जा रहे है। विषयांकित जल सप्लाई पाईप लाईन डालने हेतु स्वीकृति जारी कराने का कष्ट करावें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

भ व दी य
(कपिल चन्द्रवाल)
उप वन संरक्षक
राजसमन्द

क्रमांकः पत्रा ( ) सर्वे / एफ.सी.ए. / उवसं / 2014–15 / 1170 – 1171 दिनांकः 15/3/16

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अधिशाषी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग परियोजना परियोजना खण्ड आसीन्द के पत्रांक 459–462 दिनांक 15.10.15 के क्रम में भेजकर लेख है कि बगैर सक्षम स्वीकृति प्राप्त होने तक विषयांकित प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ नही करावें ।
2. क्षैत्रीय वन अधिकारी, भीम को भेजकर लेख है कि विषयांकित जल पाईप लाईन की सक्षम स्वीकृति मुख्य वन संरक्षक महोदय उदयपुर से जारी नही हो जाती तब तक कार्य प्रारम्भ नही होने देवें।

उप वन संरक्षक
राजसमन्द